न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 124/2017

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
दीनानाथ पुत्र चतरनाथ जाति नाथ निवासी वोपारी तहसील मारवाड जंक्शन जिला पाली।		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मारवाड जंक्शन

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. श्री मोहम्मद शरीफ काजी, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट।
2. सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से।

–: निर्णय :–

दिनांक:– 28.06.2019

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राज भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत राजस्व विविध प्रकरण संख्या 1436/2016 में तहसीलदार मारवाड जंक्शन द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.01.2017 तथा न्यायालय जिला अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली द्वारा राजस्व अपील संख्या 07/2017 में पारित निर्णय दिनांक 29.09.2017 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम वोपारी के खसरा नंबर 108 रकबा 10.50 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल. की भूमि के संबंध में पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार मारवाड जंक्शन द्वारा राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुए 3 माह की सिविल कारावास का आदेश पारित किया है। उक्त आदेश के विरूद्ध अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय द्वारा खारिज कर दिया। जिसके विरूद्ध उक्त अपील हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई। वादग्रस्त आराजी अपीलांट के पिता के खातेदारी संवत 2033 से 2036 की जमाबंदी में दर्ज है। वादग्रस्त आराजी के संबध में रेस्पोडेन्ट के पिता व अन्यो के विरूद्ध सिलिंग प्रकरण 1/77 चला। जिसका निर्णय 28.03.1978 को हुआ। उक्त निर्णय में उपखंड अधिकारी सोजत ने एस.एस.सी चतरनाथ की खातेदारी में से 92.10 हैक्टेयर भूमि अधिकरण के आदेश दिनांक 28.03.1978 को पारित कर अपीलांट के पिता के पक्ष में तीस

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

स्टेण्डर्ड एकड राज–साज करने का आदेश पारित किया। जिसकी पालना में चतरनाथ द्वारा तहसीलदार खारची, आर.आई माण्डा को आवेदन पेशकार 92.10 हैक्टयर भूमि सौपने बाबत दिनांक 14.08.1978 को प्रार्थना पत्र पेश किये। उक्त प्रार्थना पत्र के पश्चात भू अभिलेख निरीखक क्षेत्र माण्डा द्वारा दिनांक 14.06. 1978 को आवेदन में वर्णित कृषि भूमि अधिकरण कर कब्जा प्राप्त करने का स्वीकर कर कब्जा राजसाज किया गया, किन्तु उक्त खसरा नंबर में पुराने खसरा नंबर 75, 323,324, 325, 326, 327, 328 जो कि चतरनाथ की कब्जे की भूमि शामिल नहीं है। इन पुराने खसरो के नये नंबर जिसमे 108, 378 कायम हुए। जिससे यह स्पष्ट है कि खसरा नंबर 108, 378 की भूमि बाबत सरेण्डर पत्र अपीलांट के पिता चतरनाथ द्वारा पेश नही किया गया। वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट का कई पीढीयो से कब्जा काश्त है, जिस पर अपीलांट का निवास स्थान है। उक्त वादग्रस्त आराजी गलत रूप से राजकीय खाते में दर्ज है। उपखंड अधिकारी सोजत के आदेश दिनांक 28.03.1978 के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई , उक्त अपील में की बहस में राजकीय अधिवक्ता ने वादग्रस्त आराजी डोली की न होकर चतरनाथ चेला कंवरनाथ स्वंय की खातेदारी भूमि होना बताया है। उक्त आदेश के विरूद्ध राजस्व मंडल अजमेर एवं माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा कार्यवाही की गई। जिसमे तहसीलदार व राजस्थान सरकार के विरूद्ध न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित किया गया, जो कि 91 की कार्यवाही के वक्त प्रभावी था। माननीय उच्च न्यायालय में कार्यवाही विचाराधीन रहते हुए तहसीलदार द्वारा वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 108 व 378 के संबध में 91 की कार्यवाही की गई। जो कि अवैध है। अत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय अपास्त फरमावे।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया ग्राम वोपारी के खसरा नंबर 108 रकबा 10.50 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल की भूमि राजस्व रेकर्ड में सरकारी खाते में दर्ज है। उक्त भूमि पर अपीलाण्ट द्वारा अतिक्रमण करने के कारण अपीलाण्ट के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुए आदेश बेदखली पारित किये गये है। चूंकि अपीलाण्ट द्वारा किया गया अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमण की श्रेणी में परिलक्षित होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही विधि सम्मत प्रक्रिया अपनाते हुए की गई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपीलाण्ट की अपील खारिज करावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया। कि ग्राम वोपारी के खसरा नंबर 108 रकबा 10.50 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल की भूमि के संबंध में पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार मारवाड जंक्शन द्वारा राजस्थान भ ूराजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुए 3 माह की सिविल कारावास का आदेश पारित किया है। उक्त आदेश के विरूद्ध अतिरिक्त जिला कलक्टर

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

पाली के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय द्वारा खारिज कर दिया। हस्तगत प्रकरण में यह निर्विवाद सत्य है कि वादग्रस्त आराजी खसरा 108 रकबा 10.50 हैक्टेयर भूमि राजस्व रेकर्ड में सरकारी खाते में दर्ज है। अब हस्तगत प्रकरण में अपीलांट का वादग्रस्त आराजी पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने का प्रश्न है तो इसकी पुष्टि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न प्रकरण संख्या 157/2016 सरकार बनाम दीनानाथ में पारित आदेश 21.10.2016 की पालना में तैयार की गई फर्द कब्जा सुपुर्दगी से होती है, जिसमें अपीलांट ने उक्त भूमि से अपना कब्जा राज्य सरकार के पक्ष में पटवारी हल्का को सुपुर्द किया जाना स्वीकार किया है। इसके अतिरिक्त वादग्रस्त आराजी के संबध में सिलिंग प्रकरणो का प्रश्न है तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरणो में होने वाली समस्त कार्यवाही को ध्यान में रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यो को ध्यान मे रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है। जिसमे हम किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पाते है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा न्यायालय जिला अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली द्वारा राजस्व अपील संख्या 07/2017 में पारित निर्णय दिनांक 29.09.2017 एवं राजस्व विविध प्रकरण संख्या 1436/2016 में तहसीलदार मारवाड जंक्शन द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.01.2017 यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रति के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.06.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली